जनपद - संतकबीरनगर** **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनाँक 09.04.2025

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 06 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना दुधारा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना महुली पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना बखिरा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 2546 द्वारा टैक्टर टाली व बाईक से टक्कर में घायल 01 व्यक्ति को भेजवाया गया अस्पताल–
पीआरवी 2546 को थाना महुली क्षेत्रांतर्गत टिकुरी कोल चौबे (महुली) से व्यक्ति कालर द्वारा टैक्कर टाली व बाईक से टक्कर में घायल 01 व्यक्तियों (01.आदर्श कुमार पुत्र रमेश कुमार निवासी भैसहीजोत थाना महुली जनपद संतकबीरनगर) के घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर समय से पहुँचकर एक्सीडेंन्ट में घायल व्यक्ति को 108 एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल खलीलाबाद भेजवाया गया । घटना के सम्बन्ध में थाना महुली को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर समय से पहुँचकर में घायल व्यक्तियो को ईलाज हेतु जिला अस्पताल भेजवाया गया । जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।
पीआरवी स्टाफ- आ0 प्रिन्स यादव, आ0 अरुण गौड़, हो0चा0 राम प्रकाश पाण्डेय ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 113 वाहनों से 1,56,600 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 09.04.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 113 वाहनों से 1,56,600 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 09.04.2025

थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार,

जनपद में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय*** के निकट पर्यवेक्षण में थाना धनघटा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 151/2025 धारा 137(2), 87 बीएनएस थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता इमामुदीन पुत्र निजामुदीन निवासी बहराडाडी टोला विशुनपुरा थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को धनघटा चौराहा के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी द्वारा दिनांक 08.04.2025 को थाना धनघटा पर वादी की नाबालिग पुत्री को उपरोक्त अभियुक्त द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना धनघटा पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 09.04.2025 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री रविन्द्र कुमार यादव, का0 सौरभ उपाध्याय।

***जनपद-संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 09.04.2025**

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसहयोग से 18 स्थानो पर लगवाये गये 134 सीसीटीवी कैमरे

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर द्वारा चलाये जा रहे आपरेशन त्रिनेत्र हर घर कैमरा अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सत्यजीत गुप्ता* के निर्देशन में आज दिनांक 09.04.2025 को संतकबीरनगर पुलिस द्वारा जनसहयोग से 18 स्थानो पर 134 सीसीटीवी कैमरें लगवाये गये। थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 07 स्थानों पर 25 कैमरा, थाना दुधारा पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 08 कैमरा, थाना धनघटा पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 12 कैमरा, थाना मुहली पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 20 कैमरा, थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 02 स्थान पर 12 कैमरा, थाना बखिरा पुलिस द्वारा 2 स्थान पर 09 कैमरा, थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 02 स्थान पर 34 कैमरा, थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा 02 स्थान पर 14 कैमरा लगवाकर सराहनीय कार्य करने वाले व्यक्तियो को माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसामान्य से अपील किया जा रहा है कि वे अपने अपने घरों, कालोनियों व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरें जरुर लगवाएं और कम से कम एक कैमरे से सड़क पर भी निगरानी रखें, जिससे कि अपराधिक व असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जा सके, आपका यह छोटा सा प्रयास कानून व्यवस्था बेहतर करने में बहुत कारगर होगा।

जनपद - संतकबीरनगर **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनाँक 09.04.2025**

संस हास्पिटल संतकबीरनगर में रिसेप्सनिस्ट/नर्स की हत्या के मामले में तत्काल कार्यवाही करते हुए घटना कारित करने वाले अभियुक्त को 02 अदद मोबाईल व 01 अदद डीवीआर के साथ पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **श्री सत्यजीत गुप्ता** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक सन्तकबीरनगर **श्री सुशील कुमार सिंह** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद **श्री अजीत चौहान** के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में **थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस** द्वारा कार्यवाही करते हुए आज दिनाँक 09.04.2025 को घटना में संलिप्त 01 नफर अभियुक्त रामजीत भारती उर्फ रामजी राव पुत्र रामचरित्र निवासी चंगेरा मंगेरा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को कांटे हाईवे के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का विवरणः- दिनांक 08.04.2025 को वादी श्री संतराम पुत्र छोटेलाल ग्राम पहुंरा थाना पुरानी बस्ती जनपद बस्ती द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर सूचना दी गयी कि वादी की नतिनी ममता पुत्री रामभवन उम्र 25 वर्ष जोकि संस हास्पिटल एण्ड ट्रामा सेन्टर टेमा चौराहा जनपद संतकबीरनगर में बतौर रिसेप्सनिस्ट/नर्स के रुप में कार्य करती थी, जिसकी दिनाँक 08.04.2025 को संस अस्पताल टेमा रहमत में मृत्यु हो गई है, इस घटना में हास्पिटल के संचालक रामजी राव की भूमिका संदिग्ध है । उक्त सूचना के आधार पर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0स0 287/2025 धारा 103(1) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. रामजीत भारती उर्फ रामजी राव पुत्र रामचरित्र निवासी चंगेरा मंगेरा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी का विवरणः-

1. मोबाईल - 02 अदद ।
2. डीवीआर सीसीटीवी संस अस्पताल - 01 अदद।

पूछताछ विवरणः-

गिरफ्तार किये गये अभियुक्त से पूछताछ की गयी तो बताया कि उसके हास्पिटल पर ममता चौधरी पुत्री रामभवन चौधरी ग्राम पहुरा थाना पुरानी बस्ती जपनद बस्ती रिसेप्सन पर काम करती थी । उससे मेरा प्रेम प्रंसग था तथा कुछ दिनों से ममता हास्पिटल में काम करने वाले एक अन्य कर्मचारी अभिषेक से लगातार फोन पर बात करती थी । दिनांक 07.04.2025 को रात्रि करीब 8.45 बजे मैने ममता को छत पर बुलाया और उसे अभिषेक से मिलने व बात न करने के लिए मना किया तो मानने को तैयार नही हुयी तो मैने गुस्से मे ममता को दो चार थप्पड मारा व गला दबाने का प्रय्रास किया लेकिन तभी हास्पिटल की एक कर्मचारी शाजिया खातुन छत पर एक मरीज ईलाज के लिए आने की बात बताने के लिए मुझे बुलाने के लिए आ गयी तो मै ममता को छोड़ दिया लेकिन मुझे इस बात का बहुत गुस्सा था अगले दिन सुबह करीब 07.00 बजे मैं मौका पाकर उसके कमरे में गया, उस समय लाईट भी कटी थी और सीसीटीवी कैमरा भी बन्द था । मैने ममता की गला दबाकर हत्या कर दी तथा कमरे के दरवाजे को ऊपर हाथ अन्दर डालकर सिटकिनी बन्द कर दिया और अपने कमरे में आकर सो गया । कुछ देर बाद साजिया खातुन व हास्पिटल के अन्य कर्मचारियों द्वारा ममता के कमरे मे सोये रहने की बात मुझे बतायी तो मैने जाकर ममता के मृत्यु को सामान्य रुप देने के लिए ऊपर से ही दरवाजे की सिटकिनी खुलवाकर ममता को इलाज के लिए बेड पर लिटाया और इसकी सूचना उसके घर वालों को दिया और ममता मोबाईल लेकर मौके से अपने को बचने के लिए फरार हो गया।

गिरफ्तार करने वाले अधिकारी / कर्मचारीगणः-

1. प्रभारी निरीक्षक कोतवाली खलीलाबाद श्री पंकज कुमार पाण्डेय, उ0नि0 श्री दिलीप कुमार सिंह, का0 बलराम यादव, का0 आकाश कुमार यादव।